कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक....................../दिनांक......................

कार्यालय आदेश

मेदिनीनगर नगर निगम अन्तर्गत होटल/रेस्टोरेन्ट/विवाह भवन इत्यादि संचालित हैं। विभागीय निर्देश के आलोक में नियमानुसार इनका निबंधन किया जाना है। परन्तु ऐसा देखा जाता है कि प्रतिष्ठान के संचालक निबंधन नहीं करवा रहे हैं। साथ ही व्यापार करने के लिए ट्रेड लाईसेंस, FSSI के तहत् भी निबंधन कराना आवश्यक है। निबंधन के बिना किसी भी प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की जा सकती है। FSSI निबंधन हेतु निम्नलिखित कागजात उपलब्ध कराकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकता है।

1. होटल/रेस्टोरेन्ट/विवाह भवन/धर्मशाला/होस्टल/लॉज का रजिस्ट्रेशन अपडेट
2. ट्रेड लाईसेंस अपडेट
3. भवन का होल्डिंग टैक्स (व्यवसायिक) अपडेट
4. वाटर कनेक्शन का वाटर चार्ज अपडेट
5. 100 किलो से ज्यादा कचड़ा उत्पन्न करने पर कम्पोस्ट करने का प्लान एवं प्रमाण–पत्र
6. 100 किलो से कम कचड़ा उत्पन्न करने पर कचड़े का निष्पादन का तरीका का प्रमाण–पत्र
7. उत्सर्जित कचड़े को यत्र–तत्र नहीं फेकने का शपथ–पत्र

उपरोक्त कागजातों के पश्चात् ही FSSI निबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकता है।

ह०-

कार्यपालक पदाधिकारी,
मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक 3696 / दिनांक 15/9/18

प्रतिलिपि :– सूचना पट्ट में साटकर एवं विभागीय वेबसाईट www.udhd.jhrkhand.gov.in अवलोकनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
मेदिनीनगर नगर निगम।